न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ,व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।

बारूण थाना कांड सं0–283/2019

सामान्य पंजीयन संख्या–2118/2019

सी0आइ0एस0–571/2022

22.12.2023 दिनांक 07.12.2023 से काराधीन अभियुक्त मोनु कुमार राम, पिता–संजय राम तथा पप्पु यादव उर्फ प्रिन्स कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत का आवेदन दाखिल किया गया है जिसकी प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कोई अन्य जमानत का आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से बारूण थाना कांड संख्या–53/20, 49/20 एवं 38/20 दर्ज है। आवेदक अभियुक्तगण को इस वाद में पुलिस द्वारा गलत रूप से राजनीति के तहत शक के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्तगण को इस वाद में बारूण थाना कांड संख्या–49/20 से रिमाण्ड किया गया है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद अज्ञात तीन अपराधकर्मी के विरूद्ध सड़क लूट के आरोप में धारा–392 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो एक संज्ञेय अपराध है। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी के पैरा 70 में वर्णित किया गया है कि बारूण थाना कांड संख्या–53/20 दिनांक 25.02.2020 के प्राथमिकी अभियुक्त पप्पु यादव उर्फ प्रिन्स यादव ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि नवम्बर माह 2019 में मैं और मोनु कुमार राम एवं अशोक साव तीनों मिलकर पिस्टल का भय दिखा कर एन0एच0–2 आकाश गंगा होटल के पास एक व्यक्ति से पल्सर मोटरसाईकिल, मोबाईल तथा पैसा लूटे थे तथा वाद दैनिकी के पैरा 71 में कथन किया गया है कि बारूण थाना कांड संख्या–53/20 के प्राथमिकी अभियुक्त अशोक साव को दिनांक 06.04.2020 को गिरफतार किया गया तथा इनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि माह नवम्बर 2019 में पप्पु यादव उर्फ प्रिन्स यादव, मोनु राम, अशोक साव द्वारा एन0एच0–02 स्थित आकाश गंगा होटल के पास से पल्सर मोटरसाइकिल पिस्टल का भय दिखाकर लूट लिया था। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक का मोटरसाईकिल, मोबाईल एवं पैसा पिस्टल का भय दिखाकर लूट लेने का आरोप है। आवेदक अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया गया। आवेदक अभियुक्तगण को धारा–83 द0प्र0स0 का प्रोसेस होने के पश्चात् पुलिस द्वारा पकड़ कर लाये गये हैं। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप अजमानतीय तथा गम्भीर प्रकृति का है। मामले का पूरक अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण मोनु कुमार राम, पिता–संजय राम तथा पप्पु यादव उर्फ प्रिन्स कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 22.12.2023 को खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय,औरंगाबाद।